

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : प. 4(9)पपा/2019

जयपुर, दिनांक :

—: आदेश :-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(10)पपा/2019 दिनांक 17.02.2020 द्वारा राजस्थान पशुपालन सेवा के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) से उप निदेशक (सामान्य) के पद पर पदोन्नति उपरान्त समसंख्यक आदेश क्रमांक प. 4(9)पपा/2019 दिनांक 26.02.2020 द्वारा पदस्थापन किया गया था, जिसके अनुसरण में निम्न अधिकारियों ने निर्धारित अवधि (15 दिवस) में कार्यग्रहण नहीं किया था।

क्र.स.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० सुमित्रा कुमारी	कार्यालय सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर	उप निदेशक, ब०उ०प०चि० नागौर
2.	डॉ० मनोज माथुर	उप निदेशक, वृषभ पालन केन्द्र, रामसर, अजमेर (पद के विरुद्ध)	उप निदेशक, ब०उ०प०चि० जैसलमेर
3.	डॉ० बिलाल अहमद	प्र०श्रे०प०चि० सांगोद, कोटा	उप निदेशक, ब०उ०प०चि० भीलवाड़ा
4.	डॉ० अशोक कुमार/सम्पत लाल	प्र०श्रे०प०चि० फतेहपुर, सीकर	उप निदेशक, पशुधन विकास, चित्तौड़गढ़
5.	डॉ० शीशराम डुडी	कार्यालय उप निदेशक, ब०उ०प०चि० झुन्झुनु	उप निदेशक, भैंस प्रजनन फार्म, बाकलिया, नागौर
6.	डॉ० रशीद अहमद चौहान	कार्यालय सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर	उप निदेशक, ब०उ०प०चि० झालावाड़

तत्पश्चात कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक मेल/व्हाटसप द्वारा कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की थी, जिसकी पालनार्थ उपरोक्त अधिकारियों ने मेल/व्हाटसप कार्यग्रहण कर लिया था।

वर्तमान में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सालयों/फार्मस/प्रयोगशालाओं का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु अनुमत किया गया है। अतः उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.05.2020 तक भौतिक रूप से अपने नवीन पद स्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर addestate2@gmail.com पर सूचित करें, अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जावेंगे।

इसे सवौच्य प्राथमिकता देवे।




(डॉ० विरेन्द्र सिंह)
शासन उप सचिव

क्रमांक : प. 4(9)पपा/2019

जयपुर, दिनांक : 4-5-2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज० जयपुर।
4. संबंधित अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र)/सयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज० जयपुर।
6. निजी पंजिका/रक्षित पंजिका।



शासन उप सचिव